/ [signature]

25.7.19 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O Sb अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 28.8.19 को पेश हो [signature]

28/8/19 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 16/9/19 को पेश हो। [signature]

16/9/19 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ के कार्य स्थगन कर रखा है। अत: पत्रावली उक्त आदेशानुसार दिनांक 11/10/2019 को पेश हो। [signature]

11.10.19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप०। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.10.19 को पेश हो। [signature]

31.10.19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ~~अलग~~ डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल वाद के संलग्न रहे। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र / 18 / 2018

1. कमला देवी उम्र 43 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी स्व. धुड़ाराम जाति जाट निवासी ढाणी नाड्यों तन नेतड़वास तहसील धोद जिला–सीकर हाल आबाद जीवण नगर सांवली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्योपाल उम्र 50 वर्ष पुत्र हेमा
2. रणजीत उम्र 40 वर्ष पुत्र हेमा
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी नाड्यों तन नेतड़वास तहसील धोद जिला–सीकर
3. सोहनी देवी उम्र 47 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी गणेशराम जाति जाट निवासी ढाणी नाड्यों तन नेतड़वास तहसील धोद जिला–सीकर हाल आबाद मियां की ढाणी तन शिश्यूं तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
4. हल्का पटवारी, नेतड़वास, तहसील धोद जिला सीकर
5. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
6. तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
01. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, वकील प्रार्थीया की ओर से
02. श्री प्रभातीलाल, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:आदेश:–

दिनांक– 31.10.2019

01. वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की वंशावली निम्न प्रकार है–

हेमा

अमरी पत्नि(फौत)	श्योपाल पुत्र	रणजीत पुत्र	सोहनी पुत्री	कमला पुत्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 सगे भाई बहिन है जो स्व0 हेमा के प्रथम श्रेणी वारिसान है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 हैक्टर वाके ग्राम नेतडवास पटवार हल्का नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमि वादिया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता हेमा पुत्र ईशर के खातेदारी की भूमि थी तथा हेमा का निर्वसियती स्वर्गवास होने पर नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 05.09.2007 ग्राम नेतडवास केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा माता स्व0 अमरी देवी के नाम से तस्दीक किया गया। जो कि निरस्त होने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 05.09.2007 स्व0 हेमा के वारिसो की जांच किए बिना तस्दीक किया गया है जबकि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 3 स्व0 हेमा की जायन्दा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस थी इसलिए समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसो के नाम तस्दीक नही करने के कारण नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 496 ग्राम नेतडवास कब्जे काश्त की जांच नहीं किये जाने, प्रार्थिनी को सुनवाई का अवसर श्नहीं दिये जाने एवं धारा–8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के विपरीत तस्दीक किया गया होने से खारिज होने योग्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीनी अपनी मां के जीवनकाल में 1/5 हक हिस्से पर व वर्तमान में मां के स्वर्गवास के पश्चात 1/4 हक हिस्से पर काबिज काश्त है तथा अपने हक हिस्से की उद्घोषणा करवाने की कानूनी अधिकारी है इसलिए भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 हैक्टर ग्राम नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर में से प्रार्थीनी को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहुत ही चालाक व बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीनी को बलात बेदखल करने पर आमादा है जबकि प्रार्थीनी अपनी पैत्रिक भूमियो की वैध स्वामिनी व अधिकारिणी है। प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया मामला सुद्वढ है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है इसलिए अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीनी की होती है। ओवदन उचित कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तादौरने दावा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मय नौर, चाकर, परिजन, स्वजन, प्रतिनिधि जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे के वो भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 हैक्टर वाके ग्राम नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर में प्रार्थीनी कोबलात बेदखल करने, प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करने, सींव नींव नष्ट करने, भूमि को खुर्द बुर्द करने, भूमि का विक्रय अंतरण करने से बाज रहे तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को भी प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत हस्तानान्तरण प्रलेख को तस्दीक करने व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन करने से बाज रहे एवं मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक श्री प्रभातीलाल उपस्थित होकर जवाब आवेदन मय प्रति आवेदन पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए उसके द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

सफलता की आशा करना दुराशा मात्र है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 2.67 हैक्टर वाकै ग्राम नेतडवारा तहसील धोद जिला सीकर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जो काश्त की पैत्रिक कृषि भूमि नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के ही एकाकी कब्जा अधिकार एवं खातेदारी की कृषि भूमि है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 ने वादग्रस्त कृषि भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है बल्कि वे विवाह के पश्चात से ही अपने ससुराल में रह रहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता की खातेदारी में अवश्य थी परन्तु वर्ष 2005 के संशोधित हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जन्म के साथ अपने पिता के समान हिस्सा प्राप्त हो गया था अर्थात उक्त कृषि भूमि में जन्म के साथ ही 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को व 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 को कानूनन प्राप्त हो गया था। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पिता काश्त करने में सक्षम नहीं होने के कारण अपनी जीवनकाल में ही अपना 1/3 हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य समान अंश में विभाजित करके कब्जा सम्भला दिया था जिस कारण वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 2.67 हैक्टियर में 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के, एवं 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा में है तथा दोनो 15 वर्ष से भी अधिक समय से अलग–अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है जिन्हें कानून की जानकारी नही थी जिस कारण अपने पिता के जीवनकाल में खातेदारी 1/2–1/2 हिस्सा की अपने नाम नही करवा सके थे नाही भविष्य में बहिन के द्वारा विवाद करने का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अन्देशा था जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 की उपस्थिति एवं पूर्ण सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता का नाम भी दर्ज हुआ था। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रार्थीया संख्या 1 व 2 की सगी बहिन अवश्य है तथा प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास भी हो गया परन्तु पति के स्वर्गवास के पश्चात, उतराधिकार में पति से प्राप्त सम्पदाओं पर प्रार्थीया अपने ससुराल में काबिज है तथा वहीं पर स्थायी रूप से आवास निवास,विवाह के पश्चात से ही कर रहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने हस्ब रीति–रिवाज एवं परम्पराओ को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया के परिवार में हुए सभी कार्यक्रमों एवं भात–छुछक में भाग लेकर सामाजिक रीति–रिवाज को पूर्णतया निभाया है परन्तु प्रार्थीया के मन में बेईमानी आ गई। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है नाही अपूरणीय क्षति प्रार्थीया की होती है। प्रार्थीया ने वादपत्र में कब्जा की मांग नही की है। इसलिए कब्जा की मांग में भी वादपत्र खारिज होने योग्य होने के कारण टी.आई. आवेदन को मय खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। वकील अप्रार्थीगण ने काउण्टर आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की माता का स्वर्गवास हो गया तब प्रार्थी ने ताजसी तौर पर नामान्तकरण संख्या 912 दिनांक 05/07/2019 को स्वीकृत करवा लिया जिसमें माता अमरी देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/3 हिस्सा पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 का नाम भी गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि 1/3 हिस्सा की भूमि स्वर्गीय हेमा के हिस्सा की थी। उसका भी हेमाराम ने अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी

(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.))

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन करके कब्जा वास्तविक व व्यवहारिक सम्भला दिया था जिस कारण अप्रार्थी सख्या 1 व 2 अर्सा करीब 15 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व से निरन्तर एवं निर्विवाद रूप काबजि है परन्तु प्रार्थीया के मन में बेईमानी आ गई जिसने प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 की हद तक प्रारम्भ से ही अवैध, शुन्य हएवं प्रभावहीन नामान्तकरण संख्या 992 दिनांक 05.07.2017 की आड़ में वादग्रस्त कृषि भूमि पर हक जताना प्रारम्भ कर दिया जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। नाही प्रार्थीया का कब्जा है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही अलग–अलग कब्जा है । इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का, काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रार्थीया को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादावा प्रस्तुतकर्तागण का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रतिदावा प्रस्तुतकर्तागण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रतिदावा प्रस्तुतकर्तागण को ही होती है। अतः प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि–"वह कृषि भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 2.67 हैक्टियर में अवैध नामान्तकरण संख्या 992 दिनांकित 05.07.2017 द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने होने को आधार बनाकर वादग्रस्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में दखन्दाजी करने, किसी भी प्रकार से रहन रखने, अन्तरण प्रलेख, विक्रय–पत्र निषादित व पंजिकृत करवाने से मय नौकर, जाकर, एजेण्ट, परिजन स्वजन प्रतिबंधित रहे।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस में दोहराया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिये निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाता है –

1. प्रथमृ दृष्टया मामला– राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार ग्राम नेतड़वास तहसील धोद की भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 है0 की खातेदारी श्योपाल, रणजीत पि. हेमा, अमरी बेवा हेमा हि.ब. के नाम दर्ज थी जिसमें नामा. सं. 992 विरासत दिनांक 5.7.17 द्वारा अमरी पत्नी हेमा हि0 1/3 के बजाय श्योपाल, रणजीत पुत्रगण हेमा, सोनी, कमला पुत्रिया हेमा हि.1/3 हि.ब. के नाम खातेदारी स्वीकार हुई है। प्रार्थीया का कथन है कि वह हेमा की पुत्री है जो उसकी वैध वारिसान है। हेमा का निर्वसियती स्वर्गवास होने पर नामा0 संख्या 496 दिनांक 5.9.2007 उसकी माता तथा उसके भाई अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया। प्रार्थीया हेमा की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के बावजूद उसका नाम विरासत में नहीं दर्ज किया गया । प्रार्थीया के कथन की ताईद नामा0 संख्या 496 दिनांक 5.9.2007 के इन्द्राजात से होती है। प्रार्थीया हेमाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है। हेमाराम की मृत्यु के पश्चात जो विरासत का नामा0 तस्दीक किया गया उसमें प्रार्थीया को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीया मृतक हेमा की वैध वारिसान होते हुऐ भी नामा0 संख्या 496 दिनांक 5.9.2007 में प्रार्थीया का नाम छोड़ दिया गया। इसलिये पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित है। अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है।

2. सुविधा का संतुलन :– प्रार्थीया हेमा की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण उसकी पैतृक भूमि में अपने भाईयों के साथ बाई बर्थ अपने हिस्से का कानूनन हक अधिकार रखती है, जिससे कानूनन वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीया के पक्ष से यह बिन्दु प्रमाणित है।

3. अपूरणीय क्षति :– प्रार्थीया हेमा की प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा वर्तमान में रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार भी है। यदि प्रार्थीया को उसके हक अधिकार से बेदखल किया जाता है तो निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को होगी। अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। अतः यह बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित है।

आज्ञा

उपर्युक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा 4 ता 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 है0 वाके ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर की भूमि पर तादौरान वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण का काउण्टर आवेदन प्रमाणित नहीं हाने के कारण खारिज किया जाता है।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद

निर्णय आज दिनांक 31-10-19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद न्यायालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.11 11:48:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: